नम्बर
अहक
हुक्म
में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – महीपाल सिंह , आर.ए.एस.

मुकदमा नंबरः– 78/2020 वाद पत्र

अनवान

1.उदयलाल आत्मज मगना जाट आयु व्यस्क निवासी लादुवास तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

2.रम्भा पत्नी मगना जाट आयु व्यस्क निवासी लादुवास तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

बनाम

1.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपस्थित

1. श्री कमलेश मेहता — अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार

वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क एवं 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय ::

दिनांक 30.03.2021

वादीगणों ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क एवं 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया कि सरहद लादुवास पटवार हल्का लादुवास तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा के आराजी नं0 2379 रकबा 13 बिस्वा हम वादीगणों के नाम तथा आराजी नं0 3415/2379 रकबा 07 बिस्वा भूमि किस्म गै.मु.आबादी खाता संख्या 01 में बिलालाम सरकार जमाबंदी स्वांत 2069 से 2072 दर्ज रेकार्ड है। उक्त दोनों

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.20 15:44:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

आराजी जमाबंदी संवत 2045 से 2048 में एक ही मूल आराजी नं. 2379 रकबा 01 बीघा वादीगणों के पिता व पति श्री मगना आत्मज सोहनलाल के नाम दर्ज रेकार्ड थी। जो वादीगणों की पुश्तैनी भूमि है। आराजी नंबर 2379 रकबा 1.00 बीघा में से 1000 वर्ग गज भूमि को वादीगणों के पिता व पति श्री मगना जाट द्वारा उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 199 दिनांक 07.07.1990 से आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कराया जाने से राजस्व रेकाड़ में इन्द्राज के आदेश पारित हुए। तहसीलदार माण्डल द्वारा पटवारी हलका व भू0अ0 निरीक्षक लादुवास द्वारा खोले गये नामान्तकरण संख्या 930 को बाद अवलोकन दिनांक 25.07.1990 को स्वीकार किया गया। पटवारी हलका द्वारा उक्त नामान्तकरण के अनुसार राजस्व रेकाड़ में इन्द्राज करते समय नवीन बटा नंबर 3415/2379 रकबा 07 बिस्वा गै.मु. आबादी को वादीगण के पिता व पति मगना के बजाय भूल या सहवन से खाता संख्या 1 बिलानाम सरकार में दर्ज कर मनमकसूद तरीके से गलत तरमीम कर दी। जिसका राजस्व कर्मचारियों को कोई विधिक अधिकार नहीं था। जबकि वादीगण विरासत से प्राप्त अपनी पुश्तैनी आराजी रकबा 01 बीघा पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे थे परन्तु उनकी मूल आराजी के बटा नबंर 3415/2379 रकबा 07 बिस्वा गै.मु. आबादी विपक्षी के नाम दर्ज होने से वह बेदखल करने पर आमादा है। अतः बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी के विरूद्व इस आश्य कि घोषणा की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम लादुवास पटवार हलका लादुवास तहसील करेड़ा के आराजी नंबर 3415/2379 रकबा 07 बिस्वा गै.मु. आबादी के खातेदार है तद्नुसार राजस्व रेकार्ड़ में इन्द्राज दुरूस्ती कर वादीगणों के नाम दर्ज करवाई जावे व नक्शें में मूल आराजी नंबर 2379 रकबा 13 बिस्वा के साथ एक ही खाते में दर्ज कराई जावे तथा उपयोग उपयोग में बाधा उत्पन्न नहीं करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन किया है।

वादीगणों का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किए गए। नियत दिनांक 19.01.2021 को प्रतिवादी पैरोकार सरकार उपस्थित तथा जवाब हेतु समय चाहा। नियत दिनांक 02.02.2021 को प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने होकर जवाब प्रस्तुत किया जिसे शा0फा0 किया गया। नियत दिनांक 22.02.2021 को तनकी कायम की जाकर शा0फा0 की गई। नियत दिनांक 02.03.2021 को अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र पेश किया जिसकी नकल प्रतिवादी पेरोकार सरकार को दिलाई जाकर शामिल फाईल किया गया। नियत दिनांक 16.03.2021 को प्रतिवादी पेरोकार सरकार वादी साक्ष्य से कोई जिरह नहीं

न्यायिक अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.20 15:44:35 IST
Reason: SelfAttested

करना तथा जवाब के इतर कोई साक्ष्य पेश नहीं कर सीधे बहस कराना चाहने से नियत दिनांक 22.03.2021 को उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

प्रतिवादी पेरोकार सरकार द्वारा जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए गै0मु0 आबादी को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने हेतु नियमों में प्रावधान होना बताया परन्तु इसके समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जबकि अधिवक्ता वादीगण ने जमाबंदी संवत 2045 से 2048 प्रस्तुत कर आराजी संख्या 2379 रकबा 1 बीघा वादीगणों के पिता व पति के नाम दर्ज रेकार्ड होना बताया (Ex-2)। उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 199 दिनांक 07.07.1990 के अनुसार आराजी नंबर 2379 रकबा 01 बीघा में से 1000 वर्ग गज भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन भूमि वादीगणों के पिता व पति मगना आत्मज सोहन के नाम होना बताया (Ex-4&5)

मैने पत्रावली, उस पर उपलब्ध दस्तावेज, उभयपक्षों के जवाब एवं साक्ष्य का गहनता से अवलोकन किया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया । प्रश्नगत आराजी संख्या 3415/2379 रकबा 07 बिस्वा को वादीगण के पिता व पति मगना आत्मत सोहन द्वारा आबादी प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित कराई गई जिसे गै.मु. आबादी बिलानाम सरकार के खाते में दर्ज होने के संबंध में कोई ठोस आधार/ विधिक नियम नहीं पाये जाने से वादीगणों का वाद स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः वादी गणों का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर बहक वादीगणों को ग्राम लादुवास पटवार हलका लादुवास तहसील करेड़ा के खाता संख्या 1 में दर्ज आराजी संख्या 3415/2379 रकबा 07 बिस्वा गै.मु.आबादी का काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड व तरमीम में तदनुसार संशोधन किया जावे। उक्तानुसार डिक्री तहसीलदार करेड़ा को जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2021 को खुल न्यायालय में सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.20 15:44:35 IST
Reason: SelfAttested